## MUMBAI PORT AUTHORITY ESTATE DIVISION

## SELF DECLARATION OF ACTUAL OCCUPANTS

No. EM/AS-6/SLP/5994

By this office circulars bearing No.EM/AS-6/SLP/1252, 1621, 6996, 10155 & 659 dtd 27.04.2005, 22.05.2006, 2.11.2006, 18.1.2007 & 21.04.2008, respectively, all registered tenants/lessees were requested to furnish the enumeration of actual occupants on Port Authority premises in the format enclosed therewith before the  $31^{\rm st}$  of January each year.

- 2. It is observed that the above information is not being furnished in many cases despite clear intimation that the same was required to be furnished immediately and during the month of January every year.
- 3. Non submission of the list of actual occupants every year since 2006 attracts penalty in terms of the Board's policy.
- 4. All registered tenants/lessees of Mumbai Port Authority are therefore, once again requested to furnish the self-declaration of actual occupants on Port Authority premises in the format (enclosed for ready reference) duly signed by registered tenants/lessees by 31.01.2023 and also during the month of January every year without fail.

Sd/ESTATE MANAGER (I/C)

## मुंबई पोर्ट प्राधिकरण संपदा विभाग

## वास्तविक कब्जाधारियों की स्वघोषणा

सं-ईएम/एएस.6/एसएलपी /5994

दिनांक :13.01.2023

Date: 13.01.2023

इस कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या EM/AS-6/SLP/1252, 1621, 6996, 10155 और 659 दि. 27.04.2005, 22.05.2006, 2.11.2006, 18.1.2007 & 21.04.2008, क्रमशः सभी पंजीकृत किरायेदारों/पट्टेदारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पहले संलग्न प्रारूप में पोर्ट प्राधिकरण परिसर में वास्तविक रहने वालों की गणना प्रस्तुत करें।

- 2. यह देखा गया है कि उपरोक्त जानकारी कई मामलों में स्पष्ट सूचना के बावजूद प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जो उसे हर साल जनवरी के महीने के दौरान तुरंत प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी ।
- 3. 2006 से हर साल वास्तविक रहने वालों की सूची प्रस्तुत न करने पर बोर्ड की नीति के अनुसार जुर्माना लगता है।
- 4. अत: मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के सभी पंजीकृत किरायेदारों/पट्टेदारों को एक बार फिर से स्व-घोषणा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है कि, पोर्ट प्राधिकरण परिसर में वास्तविक रहने वालों की पंजीकृत किरायेदारों / पट्टेदारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रारूप (संदर्भ के लिए संलग्न) 31.01.2023 तक और हर साल जनवरी के महीने में भी बिना भूले हुए प्रस्तुत करें।

हस्ता/-**संपदा प्रबंधक (प्रभारी)**